

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
किशनगंज / गया।

पटना, दिनांक 06-9-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड-20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतनादि के विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹60,00,000/- (साठ लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(7)ब दिनांक-14.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतनादि के विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹60,00,000/- (साठ लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. इससे अवमानवाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें । भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

Q. 1/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक : 06-9-18

ज्ञापांक : 28(7)0

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/प्रशाखा पदाधिकारी,3/ आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

Q. 1/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरण

(69)

वित्त वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का वेतन भत्ता मर्दों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	शिक्षा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	अभ्युक्ति अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में मुगलान हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	किशनगंज	1310000	1663700	13100	3200	10000	3000000	डा० राजेन्द्र प्रसाद यादव, सेवा निवृत्त चि०पदा० प्रा०स्वा०केन्द्र, दिग्दर्शक, किशनगंज
2	गया	1310000	1663700	13100	3200	10000	3000000	डा० सुरेन्द्र प्रसाद, सेवा निवृत्त चि०पदा० अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, करियासपुर, टनकुप्पा, गया
	कुल	2620000	3327400	26200	6400	20000	6000000	

(साठ लाख) रु. मात्र

06/9/18

सरकार के विशेष सचिव

9

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	5999146000	2916500000	2620000	2919120000	3080026000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	899872000	437475000	3327400	440802400	459069600
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	959863000	465410000	26200	465436200	494426800
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1930000	950000	0	950000	980000
5	शिक्षा भत्ता (0001-01-06)	152352000	75716800	6400	75723200	76628800
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	119982000	58286800	20000	58306800	61675200
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	8138145000	3954338600	6000000	3960338600	4177806400
8	शिक्षा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	5000000	996564	0	996564	4003436
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	6400000	2851800	0	2851800	3548200
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	9200000	3505000	0	3505000	5695000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	23000000	8580000	0	8580000	14420000
12	दूरभाष (0001-13-03)	10000000	4360000	0	4360000	5640000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	40000000	30020000	0	30020000	9980000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	950000	0	950000	1050000
15	वर्दी/ पोशाक (0001-13-06)	6390000	3018500	0	3018500	3371500
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	7500000	2810500	0	2810500	4689500
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	4500000	0	0	0	4500000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	66200000	26973000	0	26973000	39227000
19	दवा भंडार (0001-21-02)	66000000	29310000	0	29310000	36690000
20	आहार/ पथ्य (0001-21-03)	10000000	4912800	0	4912800	5087200
21	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुसूचक एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000000	0	0	0	1000000
23	सविदा सेवाएँ (0001-28-02)	10000000	47617000	0	47617000	52383000
24	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (0001-28-04)	15000000	71841200	0	71841200	78158800
25	मशीनें एवं उपकरण (0001-52-01)	3000000	1192700	0	1192700	1807300
	कुल योग:	11658836000	5587140964	6000000	5593140964	6065695036

28(7)A

06-9-18

06/9/18

सरकार के विशेष सचिव

9